

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:- प. 5(51)कार्मिक/क-2/88 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 21/9/10

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर सहित)


परिपत्र

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को पात्रतानुसार नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है।

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7(2)कार्मिक/क-2/06 दिनांक 5.7.2010 द्वारा संबंधित नियमों यथा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999, राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1970 एवं राज0 लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम तथा विनियम, 1999 में संशोधन किया गया जिसके अनुसार कनिष्ठ लिपिक पद हेतु अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा उसके समकक्ष परीक्षा द्वारा सीनियर सेकेन्डरी उत्तीर्ण होने के साथ कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण किये जाने की अहर्ता होना अनिवार्य है।

उक्त नियमों के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान करते समय मृतक के आश्रित के पास भी उक्त योग्यता का होना आवश्यक है। चूंकि मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19.8.2010 में संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त नियमों के अन्तर्गत मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अहर्ता नियुक्ति के पश्चात एक वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी अर्थात् बिना कम्प्यूटर की योग्यता के प्रथमतः अनुकम्पात्मक नियुक्ति तो दे दी जावेगी लेकिन नियुक्ति उपरान्त एक वर्ष में कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।


अतः समस्त नियुक्ति अधिकारियों/प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली नियुक्ति में उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।


खेमराज

प्रमुख शासन सचिव


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. निदेशक, भाषा विभाग, राज0 जयपुर।


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राज0 जयपुर।
5. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव

37/2010